संख्या-01/2025-1026-22-4-2025-1858059

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 01 जनवरी, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में कारागार मुख्यालय / परिक्षेत्रीय कार्यालय के निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन के क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-29411/नजारत(4)/01/2024, दिनांक 26 सितम्बर,2024 एवं पत्र संख्या-32372/नजारत(4)/01/2024, दिनांक 29-10-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कारागार मुख्यालय /परिक्षेत्रीय कार्यालय की निष्प्रयोज्य 04 (03 कार/जीप व 01 नग मोटरसाईकिल) वाहनों के स्थान पर मेसर्स मारूती सुजुकी इण्डिया लि० की 03 नग वाहनों के क्रय हेतु कुल रू0 29,08,399.98 तथा 01 नग मोटर साईकिल हीरो एच.एफ. डीलक्स के क्रय हेतु रू0 59442.00 अर्थात कुल 04 निष्प्रयोज्य वाहनों के पुर्नस्थापन स्वरूप 04 नये वाहनों का क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि **रू0 29,67,842/- (रूपया उनतीस लाख सड़सठ हजार आठ सौ बयालीस मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित निम्न विवरण/ शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

क्र0	**वाहन का नाम**	**प्रति वाहन मूल्य**	**वाहन की संख्या**	**स्वीकृत धनराशि**
1	2	3	4	5
1	मारूति सियाज स्मार्ट हाईब्रिड ALPHA 1.5L 5MT	रू0 9,84,720/-	01	रू0 9,84,720.00
2	मारूति आर्टिगा स्मार्ट हाईब्रिड ZXI (o) 1.5L 5MT	रू0 9,61,839.99/-	02	रू0 19,23,679.98
3	Motorcycle HERO, HF Deluxe Drum Self	रू0 59,442/-	01	रू0 59,442.00
योग-			**04 नग**	**रू0 29,67,841.98**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वाहनों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त वाहनों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब वाहनों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) महानिरीक्षक, कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित वाहनों के मेक/मॉडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के सम्बन्ध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) महानिरीक्षक, कारागार क्रय किये जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेगें।

(5) वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(6) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 29,67,842 (रुपये उनतीस लाख सड़सठ हजार आठ सौ बयालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002500 कारागार - मुख्य **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-633-X-2024-25, दिनांक: 31.12.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-01/2025-1026-22-4-2025-1858059, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्युयक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।